निर्णय बईजलास श्री सिद्धार्थ सिहाग आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड

प्रकरण संख्या 01/रेफरेन्स/19

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील बकानी (प्रार्थी)

बनाम

01. बापूलाल आ0 मांगीलाल कोम मेहर नि0 नसीराबाद तहसील बकानी
02. रामनारायण आ0 मांगीलाल कोम मेहर नि0 नसीराबाद तहसील बकानी
03. रूघनाथ आ0 मांगीलाल कोम मेहर नि0 नसीराबाद तहसील बकानी
04. देवबाई पुत्री मांगीलाल कोम मेहर नि0 नसीराबाद तहसील बकानी
05. राधेश्याम आ0 लक्ष्मण कोम मेहर नि0 नसीराबाद तहसील बकानी(अप्रार्थी)

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम 1956 व धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः— पेरोकार सरकार
श्री इकबाल अहमद खां अभिभाषक अप्रार्थी न0 1 लगायत 4
श्री तंवरसिंह झाला अभिभाषक अप्रार्थी न0 5

—: निर्णय :— दिनांकः 22.07.2019

यह रेफरेन्स तहसीलदार बकानी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अपने मेमों में अंकन किया गया है कि ग्राम नसीराबाद तहसील बकानी खाता संख्या 295/279 खसरा नम्बरान 28 की कुल 36 बीघा 11 बिस्वा भूमि रतनलाल,राधेश्याम,भगवान आ0 लक्ष्मण नन्दुबाईउ बेवा लक्ष्मण हिस्सा 1/4, भैरूलाल पुत्र नानूराम हिस्सा 1/4, बापूलाल,रामनारायण,रूघनाथ पुत्र मांगीलाल देवबाई पुत्री मांगीलाल हिस्सा 1/2 जाति मेहर खातेदार के नाम दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजी बाबत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में प्रकरण 48/2010 में पारित निर्णय 27.06.20111 के विरूद्ध सह खातेदार मांगीलाल पुत्र गंगाराम मेहर द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में अपील संख्या 6808/11 प्रस्तुत कर उपलब्ध अभिलेख के अनुसार 23.02.2012 तक राजस्व रेकार्ड में यथास्थिति रखे जाने हेतु स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। न्याय आपके द्वार अभियान 2018 में मृतक खातेदार मांगीलाल के वारिसान द्वारा फोती नामान्तरकरण हेतु निवेदन करने पर जारी स्थगन आदेश की जानकारी के अभाव में फोती नामान्तरकरण संख्या 1358 दर्ज किया जाकर दिनांक 14.06.2018 को निर्णित किया जाकर अमल जमाबन्दी सं0 2072—75 में हो चुका है। राधेश्याम आ0 लक्ष्मण द्वारा दिनांक 16.09.2018 को श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत प्रा0पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण की जांच करने पर फोती नामान्तरकरण स्थगन आदेश की जानकारी के अभाव में निर्णित किया जाना पाया गया। खाते के सहखातेदार के हिस्सों व हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नही होने से उनको पक्षकार नही बनाया गया है। नामान्तरकरण सख्या 1358 दिनांक 14.06.2018 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया है।

रेफरेन्स प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को जर्ये सूचना पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी 1 लगायत 4 की और से अभिभाषक श्री इकबाल अहमद खां का वकालतनामा तथा अप्रार्थी 5 की और से अभिभाषक श्री तंवरसिंह झाला का वकालतनामा प्रस्तुत हुआ व उपस्थित हुए।

जिला कलक्टर
झालावाड़

बहस उभय पक्ष सुनी। पेरोकार सरकार ने रेफरेन्स मेंमों की पुष्टी करते हुए व्यक्त किया कि ग्राम नसीराबाद तहसील बकानी खाता संख्या 295/279 खसरा नम्बरान 28 की कुल 36 बीघा 11 बिस्वा भूमि रतनलाल,राधेश्याम,भगवान आ0 लक्ष्मण नन्दुबाईउ बेवा लक्ष्मण हिस्सा 1/4, भैरूलाल पुत्र नानूराम हिस्सा 1/4, बापूलाल,रामनारायण,रूघनाथ पुत्र मांगीलाल देवबाई पुत्री मांगीलाल हिस्सा 1/2 जाति मेहर खातेदार के नाम दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजी बाबत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में प्रकरण 48/2010 में पारित निर्णय 27.06. 20111 के विरूद्ध सह खातेदार मांगीलाल पुत्र गंगाराम मेहर द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में अपील संख्या 6808/11 प्रस्तुत कर उपलब्ध अभिलेख के अनुसार 23.02.2012 तक राजस्व रेकार्ड में यथास्थिति रखे जाने हेतु स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। न्याय आपके द्वार अभियान 2018 में मृतक खातेदार मांगीलाल के वारिसान द्वारा फोती नामांन्तरकरण हेतु निवेदन करने पर जारी स्थगन आदेश की जानकारी के अभाव में फोती नामान्तरकरण संख्या 1358 दर्ज किया जाकर दिनांक 14.06. 2018 को निर्णित किया जाकर अमल जमाबन्दी सं0 2072–75 में हो चुका है। राधेश्याम आ0 लक्ष्मण द्वारा दिनांक 16.09.2018 को श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत प्रा0पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण की जांच करने पर फोती नामान्तरकरण स्थगन आदेश की जानकारी के अभाव में निर्णित किया जाना पाया गया। खाते के सहखातेदार के हिस्सों व हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नही होने से उनको पक्षकार नही बनाया गया है। नामान्तरकरण सख्या 1358 दिनांक 14.06.2018 को निरस्त किया जावे।

इस पर अभिभाषक अप्रार्थी 1 लगायत 4 द्वारा व्यक्त किया कि तहसीलदार बकानी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स गलत प्रस्तुत किया गया है धारा 82 भू राजस्व अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान हैं कि कोई सार्वजनिक हित प्रभावित होने या राज्य सरकार के हितों पर कोई प्रभाव होने पर ही सम्बन्धित तहसीलदार रेफरेन्स प्रस्तुत कर सकता है और उक्त रेफरेन्स को बाद सुनवाई अग्रिम कार्यवाही हेतु राजस्व मण्डल को भिजवाया जाना होता है। उक्त नामान्तकरण से राज्य सरकार के हितों पर कोई प्रभाव नही पड़ता है, दो पक्षकारों के मध्य विवाद के विषय पर तहसीलदार को रेफरेन्स प्रस्तुत करने का हक नही है । स्थगन के बावजूद नामान्तरकरण तस्दीक होने पर प्रभावित पक्षकारों को माननीय राजस्व मण्डल में कन्टेम्प्ट की कार्यवाही हेतु कार्यवाही करनी चाहिये थी तथा उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की जा सकती थी। अतः रेफरेन्स खारिज किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में आर आर डी 1987 स्टेट ऑफ राज0 बनाम मुरारीलाल पेज 532 प्रस्तुत किये गये।

इस पर अभिभाषक अप्रार्थी न0 5 द्वारा व्यक्त किया कि उक्त आराजी बाबत वाद का निस्तारण उपखण्ड अधिकारी द्वारा किये जाने पर अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 के पिता मांगीलाल द्वारा भू प्रबन्ध अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो खारिज होने पर उक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से स्थगन प्राप्त किया गया जो अभी भी प्रभाव में हैं। नामान्तरकरण खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया व बहस उभय पक्ष पर मनन किया। प्रकरण के अवलोकन से उभरता है कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में वादग्रस्त आराजी बाबत स्थगन होने पर भी राजस्व शिविर में फोती नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है वह सही है या नही? प्रकरण के अवलोकन व दौराने बहस उभय पक्ष द्वारा व्यक्त किये गये कथन से यह तो प्रथम दृष्टया (Prima facie) प्रकट होता है कि ग्राम नसीराबाद तहसील बकानी स्थित वादग्रस्त आराजी बाबत स्थगन आदेश माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 6808/11 द्वारा जारी किया गया है और स्थगन आदेश होने पर भी राजस्व शिविर में अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 जो मृतक मांगीलाल के वारिसान हैं तथा उनकी जानकारी में होने के पश्चात भी उनके द्वारा तथ्यों को छुपाकर गलत रूप से नामान्तरकरण तस्दीक कराया जाना साबित है। अभिभाषक अप्रार्थी 1 लगायत 4 द्वारा व्यक्त किये गये कथन से हम सहमत हैं कि वादग्रस्त आराजी के अन्य खातेदारान जो माननीय राजस्व मण्डल में भी पक्षकार हैं उनको कन्टेम्प्ट बाबत कार्यवाही अथवा नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की जानी चाहिये थी, किन्तु यह कथन की तहसीलदार प्रभावित पक्षकार नही

जिला कलक्टर
झालावाड़

है से हम सहमत नही हैं क्यों कि कृषि जोतों में खातेदारी अधिकार केवल काश्तकारी अधिकार होते हैं इसमें मालिकाना अधिकार नही मिलते हैं क्योंकि भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार में निहित होता है इसी तरह नामान्तरकरण की कार्यवाही एक पृथक कानूनी प्रकिया(Fiscal proceding) है व नामान्तरकरण से विवादित भूमि में कोई हित या स्वामित्व उत्पन्न नही होते हैं किन्तु नामान्तरकरण अस्तीत्व में रहने पर पुनः किसी भी तरह का गलत कार्य होने का सशंय प्रकट होता है, इस प्रकार तथ्यों को छुपाकर गलत रूप से नामान्तरकरण तस्दीक कराया जाना साबित है, और इस प्रकार तस्दीक नामान्तरकरण को अस्तीत्व में रखा जाना उचित नही है। अतः रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 1358 जो दिनांक 14.06.2018 को तस्दीक किया गया को निरस्त किया जाकर पूर्व की स्थिति में रखा जाने हेतु तहसीलदार बकानी को निर्देश दिये जाते हैं। वादग्रस्त आराजी बाबत अन्तिम निर्णय माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन प्रकरण संख्या 6808/11 के अनुरूप होगा। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय(भूमिधारी तहसीलदार) को नियमानुसार पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 22.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
झालावाड़